प्रेस नोट दिनांक-18.06.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
अभियुक्त को थानाक्षेत्र हथिगवां के लखनऊ-प्रयागराज मार्ग पर कैमा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना हथिगवां प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 प्रिन्स तिवारी मय हमराह का0 गौरव सिंह व का0 विपिन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 101/25 धारा 137 (2) / 87 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त मिन्टू हाजरा पुत्र आशीष हाजरा नि0 ग्राम सुकांता पल्ली थाना गजोल जनपद मालदा बेस्ट बंगाल हालपता खिदिरपुर चौराहा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र हथिगवां के लखनऊ-प्रयागराज मार्ग पर कैमा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. मिन्टू हाजरा पुत्र आशीष हाजरा नि0 ग्राम सुकांता पल्ली थाना गजोल जनपद मालदा बेस्ट बंगाल हालपता खिदिरपुर चौराहा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 प्रिन्स तिवारी मय हमराह का0 गौरव सिंह व का0 विपिन यादव थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद पुलिस की प्रभावी कार्यवाही -

बिहारगंज बाजार फायरिंग प्रकरण से जुड़े 03 शातिर अभियुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार, अवैध असलहा व वाहन बरामद

जनपद प्रतापगढ़ में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बिहारगंज बाजार फायरिंग प्रकरण से जुड़े शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद पुलिस द्वारा सतत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में ASP पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर, कोतवाली देहात एवं स्वाट टीम द्वारा प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए कुल 03 शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 02 के पैरों में गोली लगी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 17/06/2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत बिहारगंज बाजार में दो व्यक्तियों को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 269/25 धारा 3(5), 351, 352, 109, 110 बीएनएस व धारा 7 CLA एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

मुठभेड़-1: थाना कोतवाली नगर व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही-

दिनांक 17.06.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत गडई चकदेईया के पास पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त मस्सन पुत्र लतीफ निवासी ककरहा थाना अंतू के दाहिने पैर में गोली लगी तथा एक अन्य अभियुक्त इरशाद पुत्र मेहदी हसन निवासी पूरे भरत थाना अंतू को मौके से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से एक पिस्टल .32 बोर, कारतूस व घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार बरामद हुई।

पंजीकृत मुकदमा – मु0अ0सं0 270/25 धारा 109 BNS व 3/25 Arms Act थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

मुठभेड़-2: थाना कोतवाली देहात पुलिस की कार्यवाही-

दिनांक 17/06/2025 को भदोई बायपास के पास चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवारों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त रियाज पुत्र शोहराब निवासी ककरहा थाना अंतू के पैर में गोली लगी तथा अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया। कब्जे से तमंचा 12 बोर व कारतूस बरामद हुए।

सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सघन दबिश दी जा रही है।

पंजीकृत मुकदमा – मु0अ0सं0 144/25 धारा 109(1) BNS व 3/25 Arms Act थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-

01. 01 पिस्टल .32 बोर, 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .32 बोर।
02. 01 तमंचा 12 बोर, 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 12 बोर।
03. 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर।
04. घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार।
05. 02 मोबाइल फोन (1 वीवो व 1 कीपैड)

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

01. मस्सन पुत्र लतीफ निवासी ककरहा थाना अंतू, उम्र- लगभग 40 वर्ष (घायल)
02. इरशाद पुत्र मेहदी हसन निवासी पूरे भरत थाना अंतू, उम्र- लगभग 30 वर्ष
03. रियाज पुत्र शोहराब निवासी ककरहा थाना अंतू, उम्र- लगभग 22 वर्ष (घायल)

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

मस्सन: 5 अभियोग (हत्या प्रयास, बलवा, CLA एक्ट सहित)
इरशाद: 2 अभियोग
रियाज: 2 अभियोग

पुलिस टीमें-

थाना कोतवाली नगर टीम – प्र0नि0 जयचन्द्र भारती मय हमराह उ0नि0 प्रदीप कुमार, का० अतुल सिंह, का० हिमाशु पुनिया, का० विनोद सोनकर,, म0का0 रमा यादव, चालक हे0का0 सुरेशचंद्र दूबे थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

स्वाट टीम – स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 सुनील कुमार यादव, उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0का0 मोहित राज यादव, का0 जागीर सिंह, का0 आशुतोष पाण्डेय, का0 अरविन्द दुबे, का0 राजेन्द्र कुमार, चालक हे० का0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात टीम – प्रभारी निरीक्षक अभिषेक सिरोही मय हमराह का0 आनन्द प्रकाश यादव, का0 पंकज चौहान, महिला का ० अंजली त्रिवेदी व का० चालक विशाल चौधरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह का० रिनेश कुमार, उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह का० किशन यादव व उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का० नवीन गौतम थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

बयान- जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। शांति एवं कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

थाना रानीगंज प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अवैध अफीम खेती प्रकरण में नामजद 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

अभियुक्त मो0 समून उपरोक्त को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत बभनमई चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 19.02.2025 को थाना रानीगंज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दांदूपुर व ग्राम चकसारा में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अपने घरों के सामने स्थित खेतों में अफीम की खेती की जा रही है। प्राप्त सूचना के आधार पर क्षेत्राधिकारी रानीगंज मय पुलिस बल मौके पर पहुंचे। ग्राम दांदूपुर में अभियुक्तों द्वारा हाल ही में जुताई कर अफीम की फसल नष्ट की गई पाई गई, जिससे अवैध खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। वहीं ग्राम चकसारा में अभियुक्तों के घरों के सामने स्थित खेतों में चार टुकड़ों में अफीम के पौधे लगे पाए गए। उक्त प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 52/2023, धारा 8(बी)/13(सी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कुल 13 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 18.06.2025 को उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह का0 विकाश बाबू, का0 सलोने द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग व विवेचना के दौरान, मु0अ0सं0 52/2023, धारा 8(बी)/13(सी) एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 समून पुत्र आशिक अली निवासी दांदूपुर थाना रानीगंज प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत बभनमई चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 16.06.2025 को उक्त अभियोग से संबंधित नामजद 01 अभियुक्त नईममुद्दीन पुत्र सईद निवासी दांदूपुर थाना रानीगंज प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दांदूपुर पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. मो0 समून पुत्र आशिक अली निवासी दांदूपुर थाना रानीगंज प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह का0 विकाश बाबू, का0 सलोने थाना रानीगंज प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

लूट की घटना का खुलासा — मानिकपुर पुलिस को बड़ी सफलता, 01 अपराधी गिरफ्तार, लूट का 01 अदद मोबाइल व 04 अदद देशी बम बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत रहमत अली तिराहे से गंगा घाट, को जाने वाले रास्ते पर ग्राम रहमत अली का पुरवा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 29.05.2025 को वादिनी थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुन्दीपुर में सुबह आर्मी ग्राउंड के पास अपनी परचून की गुमटी पर बैठी थी। उसी समय ब्लैक कलर की TVS मोटर साइकिल से 2 व्यक्ति आये और नमकीन सिगरेट लेने के बहाने उसके हाथ से उसका मोबाइल छीनकर भाग गये थे। जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/2025 धारा 309(4) बीएनएस बनाम टीवीएस मोटरसाइकिल सवार नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमें गठित की गई थीं। गठित टीमों द्वारा तकनीकी व वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे घटना से जुड़े अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सकी।

इसी क्रम में आज दिनांक- 18.06.2025 को पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व नें व0उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह उ0नि0 शिशिर पटेल, का0 घनश्याम प्रसाद, का0 हरेंद्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 114/2025 धारा 309(4) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त हिमांशु मिश्रा पुत्र शारदा प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम फतूहाबाद हीरागंज थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत रहमत अली तिराहे से गंगा घाट, को जाने वाले रास्ते पर ग्राम रहमत अली का पुरवा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 01 अदद मोबाइल व 04 अदद देशी बम बरामद किया गया। उक्त 04 अदद देशी बम बरामद के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 115/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। लूट के 01 अदद मोबाइल बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मै लूट व चोरी करता हूं। देशी बम का इस्तेमाल चोरी करके भागते समय किसी के द्वारा पीछा करने पर फोड कर डरा धमका कर भाग जाता हूँ। बरामद फोन के बारे में पूछताछ करने पर बता रहा है कि उक्त

फोन को दिनांक 29/05/2025 को मैने अपने साथी के साथ लाटतारा के पास एक महिला से छीना था। आज भी मैं चोरी करने के प्रयास में था कि आप लोगों ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. हिमांशु मिश्रा पुत्र शारदा प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम फतूहाबाद हीरागंज थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

अभियुक्त हिमांशु मिश्रा पुत्र शारदा प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम फतूहाबाद हीरागंज थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 12/2023 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना महेशगंज प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 114/2025 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना मानिकपुर प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 115/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना मानिकपुर प्रतापगढ़।

बरामदगी-
लूट के 01 अदद मोबाइल व 04 अदद देशी बम बरामद।

पुलिस टीम-
व0उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह उ0नि0 शिशिर पटेल, का0 घनश्याम प्रसाद, का0 हरेंद्र सिंह थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर के उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ला मय हमराह देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0 1214/20, अधारा 128 सीआरपीसी से संबंधित सूरज यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव निवासी ग्राम ननकू राम का पुरवा, बडेरा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 34 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. सूरज यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव निवासी ग्राम ननकू राम का पुरवा, बडेरा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 34।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ला मय हमराह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
अभियुक्त को थानाक्षेत्र फतनपुर के धरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना फतनपुर थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उउ0नि0 विकास निषाद मय हमराह का0 ध्रुवेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 133/24 धारा 363, 368 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त तेज बहादुर गुप्ता पुत्र हरीलाल गुप्ता निवासी ग्राम डगरियांव थाना सिकरारा जनपद जौनपुर को थानाक्षेत्र फतनपुर के धरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. तेज बहादुर गुप्ता पुत्र हरीलाल गुप्ता निवासी ग्राम डगरियांव थाना सिकरारा जनपद जौनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 विकास निषाद मय हमराह का0 ध्रुवेश कुमार थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

करैला बाजार फायरिंग प्रकरण में संलिप्त 02 अभियुक्त/ अभियुक्ता गिरफ्तार – घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों की सघन कार्यवाही जारी

थाना पट्टी पुलिस द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पूरेदेवजानी मोड़ से 02 अभियुक्त/ अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 16.06.2025 को थाना पट्टी क्षेत्र के करैला बाजार में जानलेवा फायरिंग की गई थी। हमले में वादी के भाई व चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हुए व फायरिंग की चपेट में आकर दो राहगीर को भी गोली लगी। घटना में कुल 09 नामजद एवं कुछ अज्ञात अभियुक्त शामिल थे।

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नामजद व अज्ञात अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

संक्षिप्त प्रेस नोट – फायरिंग की घटना
दिनांक 16.06.2025 को थाना पट्टी क्षेत्र के करैला बाजार में वादी के भाई एवं चचेरे भाई पर पूर्व विवाद को लेकर शहबाज उर्फ लम्बू, रुकसार, शहरेयार, छंगू, शाहनवाज, जलालुद्दीन आदि द्वारा एक राय होकर अवैध असलहों से जानलेवा फायरिंग की गई तथा लोहे की रॉड से हमला किया गया। फायरिंग के दौरान बाजार में दो राहगीर – आलोक पटेल एवं आमिर सुहैल को भी गोली लग गई। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार मु0अ0सं0 179 / 25 धारा 191 (2)/191 (3)/190/115(2)/61(2)/109(1)/351 (3)बीएनएस व 7CLA ACT बनाम 09 नामजद व्यक्तियों व कुछ अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था। पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में नामजद व अज्ञात अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमें गठित की गईं। गठित टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज एवं खुफिया सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश जा रही थी। साथ ही, घटना से जुड़े व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु संदिग्ध स्थलों पर सघन चेकिंग व तलाशी अभियान भी चलाया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक- 18.06.2025 को पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व नें उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह मय हमराह म0उ0नि0 ज्योति सविता, का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 प्रदीप मौर्या द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी में पंजीकृत मु0अ0सं0 179 / 25 धारा 191 (2)/191 (3)/190/115(2)/61(2)/109(1)/351 (3)बीएनएस व 7CLA ACT से संबंधित 02 अभियुक्त/ अभियुक्ता, 01. जलालुद्दीन पुत्र जहीरुद्दीन उम्र करीब 50 वर्ष, 02. अभियुक्ता निवासीगण पूरेदेवजानी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पूरेदेवजानी मोड तेरहमील जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. जलालुद्दीन पुत्र जहीरुद्दीन उम्र करीब 50 वर्ष,
02. 01 अभियुक्ता निवासीगण पूरेदेवजानी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ

पुलिस टीम-
उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह मय हमराह म0उ0नि0 ज्योति सविता हमराह का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 प्रदीप मौर्या थाना पट्टी, प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस की तत्परता से फायरिंग की घटना में शामिल 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध असलहा बरामद – पूर्व में 03 अन्य अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त सोनू उर्फ हसन अली व चिराग सिंह को चमरौधा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, साथ ही 01 अदद 32 बोर पिस्टल, 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। शेष फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार सघन अभियान जारी है।

उक्त घटना में पूर्व में तीन अभियुक्तों को अलग-अलग मुठभेड़ों में गिरफ्तार किया जा चुका है।
पहली मुठभेड़ थाना कोतवाली नगर व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में गडई चकदेइया के पास हुई थी।
दूसरी मुठभेड़ थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा भदोई बायपास पर चेकिंग के दौरान हुई थी।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में कड़े व सख्त पुलिस एक्शन के तहत कार्यवाही की गई है तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरंतर दबिश दी जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 17/06/2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत बिहारगंज बाजार में दो व्यक्तियों को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 269/25 धारा 3(5), 351, 352, 109, 110 बीएनएस व धारा 7 CLA एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र श्री अजय कुमार मिश्रा व पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था । पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में नामजद व अज्ञात अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमें गठित की गई । गठित टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज एवं खुफिया सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश जा रही थी। साथ ही, घटना से जुड़े व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु संदिग्ध स्थलों पर सघन चेकिंग व तलाशी अभियान भी चलाया गया ।

इसी क्रम में आज दिनांक- 18.06.2025 को पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में *अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में निरीक्षक प्रभात कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 विनोद कुमार सिंह, उ0नि0 सचिन यादव, उ0नि0 अंकित तिवारी हे0का0 सन्तोष कुमार, हे0का0 नासिर कमाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0स0-269/2025 धारा 3(5) / 351 (2) /352/109/110 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1. सोनू उर्फ हसन अली पुत्र मोहम्मद लतीफ उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ककरहा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, 2. चिराग सिंह पुत्र स्व0 अखण्डनारायण सिंह निवासी पूरेबहुरिया थाना अन्तू जनपद प्रता0 उम्र करीब 20 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत चमरौधा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद अबैध पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

इससे पूर्व उक्त घटना में 03 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/ गिरफ्तार किये गये।

मुठभेड़-1: थाना कोतवाली नगर व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही-
दिनांक 17.06.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत गडई चकदेईया के पास पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त मस्सन पुत्र लतीफ निवासी ककरहा थाना अंतू के दाहिने पैर में गोली लगी तथा एक अन्य अभियुक्त इरशाद पुत्र मेहदी हसन निवासी पूरे भरत थाना अंतू को मौके से गिरफ्तार किया गया।
पंजीकृत मुकदमा – मु0अ0सं0 270/25 धारा 109 BNS व 3/25 Arms Act थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

मुठभेड़-2: थाना कोतवाली देहात पुलिस की कार्यवाही-
दिनांक 17/06/2025 को भदोई बायपास के पास चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवारों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त रियाज पुत्र शोहराब निवासी ककरहा थाना अंतू के पैर में गोली लगी तथा अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया।
पंजीकृत मुकदमा – मु0अ0सं0 144/25 धारा 109(1) BNS व 3/25 Arms Act थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सघन दबिश दी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. सोनू उर्फ हसन अली पुत्र मोहम्मद लतीफ उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ककरहा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
2. चिराग सिंह पुत्र स्व0 अखण्डनारायण सिंह निवासी पूरेबहुरिया थाना अन्तू जनपद प्रता0 उम्र करीब 20 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 17.06.2025 को सुबह बिहारगंज में हम लोगो से मारपीट हो गई थी। जिसमें हम लोगो के द्वारा गोली चला दी गयी। और हम दोनो को चोटे लग गयी। पुलिस हम दोनो लोगो को खोज रही थी इसलिये हम लोग कही और इलाज कराने के लिये जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड लिया पकडे गये।

पुलिस टीम-
निरीक्षक प्रभात कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 विनोद कुमार सिंह, उ0नि0 सचिन यादव, उ0नि0 अंकित तिवारी हे0का0 सन्तोष कुमार, हे0का0 नासिर कमाल थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बयान- जनपद में अपराध व अराजकता के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कानून-व्यवस्था में विघ्न डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सभी अपराधियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर दण्ड दिलाया जाएगा।
जनपदवासियों से अपील है कि किसी भी आपराधिक गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस आपकी सेवा व सुरक्षा हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा मारपीट, हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त को अवैध तमन्चा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थानाक्षेत्र के बुकनापुर मोड़ बस स्टाप के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के समय घटना में प्रयुक्त 12 बोर अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद किया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 16.06.2025 को थाना मान्धता क्षेत्रातंर्गत ग्राम रामपुर बन्तरी में दो पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट व फायरिंग की गई थी। जिसमे वादी के उपर जानलेवा हमला किया गया था। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता में मु0अ0सं0 82/2025 धारा 191 (2), 191 (3), 190, 109(1), 125, 352 बीएनएस बनाम 07 नामजद अभियुक्त व 5-6 अज्ञात व्यक्ति का पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के

पर्यवेक्षण व थाना मान्धाता प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अनूप यादव मय हमराह उ0नि0 प्रभात कां० अंकित कुमार, का0 मनीष सिंह द्वारा दिनांक 18.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 82 / 2025 धारा 191 (2), 191 (3), 190, 109(1), 125, 352 बीएनएस से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों, 01 सोहेल अख्तर पुत्र अब्दुल सत्तार 02. इन्जमामुल हक पुत्र मो० मुकीम उम्र 23 वर्ष नि0गण ग्राम रामपुर बन्तरी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र मान्धाता के बुकनापुर मोड़ बस स्टाप के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त इन्जमामुल हक पुत्र मो० मुकीम के पास से 01 अवैध तमन्चा 12 बोर 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही में उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त इन्जमामुल हक के विरुद्ध अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1.सोहेल अख्तर पुत्र अब्दुल सत्तार उम्र 19 वर्ष नि0 रामपुर बंतरी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ
2.इन्जमामुल हक पुत्र मो० मुकीम उम्र 23 वर्ष नि0 ग्राम रामपुर बन्तरी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी का विवरण:-
01 अदद तमन्चा 12 बोर नजायज, 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अनूप यादव मय हमराह उ0नि0 प्रभात कां० अंकित कुमार, का0 मनीष सिंह थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़</u>

बीट आरक्षी राहुल कुमार की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार
थाना महेशगंज के बीट आरक्षी राहुल कुमार ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
बीट आरक्षी राहुल कुमार ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना पट्टी के बीट आरक्षी राहुल कुमार को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र
थाना महेशगंज पुलिस द्वारा थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत अंजनी पुल के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त चोरी, गैंगस्टर एक्ट जैसे कुल 03 संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर आरक्षी राहुल कुमार के सहयोग से थाना महेशगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 109/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना महेशगंज, प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त उदय प्रताप सिंह उर्फ राय साहब पुत्र स्व0 इन्द्रजीत सिंह उर्फ बूटी सिंह निवासी हीरागंज ऐंधा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को आज दिनांक 18.06.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत अंजनी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- अभियुक्त उदय प्रताप सिंह उर्फ राय साहब पुत्र स्व0 इन्द्रजीत सिंह उर्फ बूटी सिंह निवासी हीरागंज ऐंधा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 76/2023 धारा 457, 380,411,413 भादवि थाना महेशगंज प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 77/2023 धारा 379,411,413 भादवि थाना महेशगंज प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0- 109/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना महेशगंज, प्रतापगढ़

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा मारपीट, गैर इरादतन हत्या के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र जेठवारा के नौबस्ता तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 31.05.2018 को थाना जेठवारा क्षेत्रातंर्गत ग्राम फूलपुर में दो पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट के दौरान वादिनी के पति घायल हो गये थे। जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। वादिनी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 213/18 धारा 352, 323, 452, 308, 504, 304 भादवि बनाम 04 नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री मती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी जेठवारा उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अनूप यादव मय हमराह उ0नि0 वारिज मय हमराह का0 अरविन्द कुमार का0 इमरान खान द्वारा दिनांक 18.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 213/18 धारा 352, 323, 452, 308, 504, 304 भादवि से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त शीतला प्रसाद तिवारी पुत्र स्व0 रामअजोर नि0 ग्राम फूलपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र जेठवारा नौबस्ता तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
शीतला प्रसाद तिवारी पुत्र स्व0 रामअजोर नि0 ग्राम फूलपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 वारिज मय हमराह का0 अरविन्द कुमार का0 इमरान खान थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।